प्रेषक,

आयुक्त स्टाम्प/अपर सचिव राजस्व परिषद
उत्तर प्रदेश शिविर-लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्या 802/शि0का0लख0/2000 दिनांक फरवरी, 15, 2000

विषयः- स्टाम्पवादों के द्वारा बड़ी धनराशियों से सम्बन्धित स्टाम्पवादों का निस्तारण।

महोदय,

शासन स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार बड़े स्टाम्पवादों के निस्तारण के संबंध में भविष्य में जो प्रकिया अपनाई जायेगी उसमें यह व्यवस्था की जानी है कि विगत वित्तीय वर्ष में अधिकतम मूल्य वाले 5 स्टाम्पवादों में से न्यूनतम मूल्य वाले वादों से अधिक मूल्य के समस्त वाद जो अगले वित्तीय वर्ष में स्थापित होंगे, का निस्तारण स्वयं जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प कलेक्टर के रूप में किया जाये। जिलाधिकारी उक्त अधिकतम बड़े मूल्य के स्टाम्पवादों का निस्तारण किसी भी दशा में किसी अन्य न्यायालय को करने हेतु अधिकृत नही करेंगे। अतः अनुरोध है कि कृपया विगत वर्ष अधिकतम मूल्य के 5 स्टाम्पवादों का चयन करते हुए यह देख लें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कौन-कौन से वाद उक्त परिधि के अंतर्गत आयेंगे और तद्नुसार उनका चयन करते हुए उन्हे अविलम्ब अपने न्यायालय मे स्थानान्तरित करते हुए उनका निस्तारण स्वयं सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भविष्य में होने वाली समीक्षा बैठक में उक्त बिन्दु को समाहित करते हुए शासन स्तर पर समीक्षा की जायेगी। अतः जिला निबन्धक को यह भी निर्देश साथ ही साथ दे दें कि स्टाम्पवादों की प्रगति के संबंध में जो भी प्रपत्र वह भविष्य में मुख्यालय को भेजे उसमें कलेक्टर/आप द्वारा निस्तारित अथवा आपके न्यायालय में लम्बित अधिकतम मूल्य के स्टाम्पवादों की स्थिति भी स्पष्ट करें। यह निर्णय स्टाम्पवादों में करापवंचन रोकने एवं राजस्व में वृद्धि किये जाने की दृष्टि से लिया गया है। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवही कराना सुनिश्चित करें ।

यह आदेश तत्काल प्रभावी माना जायेगा।

भवदीय

बी0एम0मीना
आयुक्त स्टाम्प/अपर सचिव राजस्व परिषद
उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ

संख्या 802(1-2)/शि0का0लख0/2000 दिनांक 15-2-2000

1- प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- अपर आयुक्त स्टाम्प राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को गार्डफाइल में चस्पा करने हेतु ।

भवदीय

बी0एम0 मीना
आयुक्त स्टाम्प/अपर सचिव राजस्व परिषद
उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ